न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **91 / 2015** दायर दिनॉंक **19.06.2015**

वादी	बनाम्	प्रतिवादीगण
1. रतनकंवर उर्फ हवाकंवर पत्नी शंकरसिंह जाति राजपूत निवासी थेबडी तहसील–डीडवाना, ज़िला–नागौर, राजस्थान।		1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, नागौर 2. तहसीलदार, डीडवाना 3. नायब तहसीलदार छोटी खाटू

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

दावा बाबत्
दुरूस्त करने नक्शा, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री रघुवीरसिंह, वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनॉंक **15.01.2019**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि ग्राम थेबडी के खसरा संख्या 216 रकबा 18 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा सं0 451 / 207 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा भुमि दिनांक 30.01.2013 को वादिया के समर्पण के जरिये राजस्थान सरकार के नाम अंकन स्वीकृत हुआ है। संलग्न नजरी नक्शा एवं ट्रेस नक्शा अनुसूची "अ" में प्रदर्शित खसरा संख्या 216 के बीच में से होकर थेबी से चिन्डालिया जाने का कटाणी रास्ता मौके पर कभी नहीं रहा है। बल्कि खसरा संख्या 216 के उत्तर में खसरा संख्या 211, 207 की उत्तरी सींव पर पश्चिम से होता हुआ पूर्व की तरफ जाकर दक्षिण में आम रास्ता कटाणी रास्ता में मिल जाता है जिसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस नक्शा अनुसूची "अ" में मार्क ए बी सी में दर्शाया है। उक्त रास्ता वर्षो से बह रहा है तथा वर्ष 2008 में डामर सडक भी बन चुकी है। जो वर्तमान में मौके पर मौजुद है। राजस्व अधिकारियों की गलती की वजह से रास्ता वादिया के खसरा संख्या 216 के बीचो बीच होकर दर्शाया गया है जो गलत है। खसरा नम्बर 216 के बीचों बीच में से कभी रास्ता कटाणी मौके पर न तो रहा है और न ही वर्तमान में बह रहा है न रास्ते के अलामात ही मौजुद है। बल्कि मार्क ए बी सी रास्ता सडक से होकर ग्रामीण अपने छकडा, टेक्ट्रर, मवेशी

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

व अन्य वाहन रास्ते से लाते ले जाते है। जिस बाबत वादिया ने 01 बीघा 04 बिस्वा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में सरेन्डर भी कर दी है।

संलग्न नजरी नक्शा एवं अनुसूची के प्रदर्शित रास्ता की भूमि खसरा नम्बर 216 के बीचों बीच में से होकर कभी भी मौके पर पिछले 50–60 वर्षो से रास्ता नहीं रहा है और न ही वर्तमान में वह रहा है, न ही रास्ते के अलामात मौके पर मौजुद है। यह रास्ता राजस्व अधिकारियों की गलती की वजह से कब और कैसे राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज तरमीम हो गया। इसकी जानकारी वादिया को पहले से नहीं थी। उसको तो माह फरवरी 2015 में उक्त प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 एवं उनके माहहत में कार्य करने वाले कर्मचारियों ने कहा कि खेत खसरा नम्बर 216 में नया रास्ता कायम किया जायेगा के कहने पर उसके द्वारा दिनांक 02.03.2015 को पटवारी हल्का से नकल खतौनी व ट्रेस नक्शा की नकल लेने पर जानकारी हुई है। इससे पूर्व वादिया को उक्त गलत रूप से रास्ता तरमीम राजस्व रेकर्ड में हो रखा है कि जानकारी नहीं थी। इस कारण वादिया को उक्त दावा प्रतिवादीगण के खिलाफ दुरूस्त कराने राजस्व नक्शा रेकर्ड घोषणा रास्ता खसरा संख्या 451/207 की भूमि एवं स्थाई निषेधाज्ञा का खसरा सं0 216 में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करने बाबत दावा पेश है।

प्रार्थना वादी है कि खसरा संख्या 451/207 में से होकर नजरी नक्शा एवं अनुसूची "अ" में प्रदर्शित मार्क ए बी सी रास्ता कटाणी राजस्व नक्शा में तरमीम/घोषणा कर खसरा सं0 216 में से रास्ता हटाया जाकर दुरूस्त किया जाकर राजस्व नक्शा/रेकर्ड दुरूस्त किया जाकर उक्त वाद वादिया के पक्ष में तथा प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के विरूद्ध डिक्री फरमावें। प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 वादिया के खेत खसरा संख्या 216 में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी काश्त वगैराह करने से नहीं करें जबरदस्ती रास्ता कायम नहीं करें, इस हेतु उन्हे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 तहसीलदार डीडवाना ने राजपैरोकार की तरफ से जवाब पेश किया। तहसीलदार डीडवाना के जवाब अनुसार वादी को प्रतिबंधित श्रेणी की सार्वजनिक रास्ते की भूमि की घोषणा करवाने का कोई अधिकार नहीं है।

साक्ष्य वादी में पी डब्ल्यू–1 रतन कंवर उर्फ हवाकंवर, पी डब्ल्यू'2 झबरसिंह के शपथ पत्र पेश हुए। वादीनी ने अपने वाद के समर्थन में नजरी नक्शा प्रदर्श–1, ट्रेस नक्शा प्रदर्श–2, जमाबन्दी की नकल प्रदर्श–3, सरेन्डर की प्रति

2

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 91/2015
दायर दिनाँक 19.06.2015, निर्णय दिनाँक 15.01.2019
रतन कंवर बनाम सरकार, वगैरा।

प्रदर्श 4/1, नोटिस की प्रति प्रदर्श–5, रजिस्ट्रड नोटिस की रसीद प्रदर्श–6, ए डी की प्राप्ति प्रदर्श–7 पेश किये तथा ग्राम पंचायत थेबडी का अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश किया।

वकील वादी ने मय फहरिस्त भू–प्रबन्ध विभाग के वर्तमान सेटलमेन्ट की प्रति पेश की जिसमें खसरा संख्या 216 के बीच सडक रकबा 05 बिस्वा बनी की प्रति पेश की।

विद्वान वकील वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक दावा तथा अनुतोष वादी मुताबिक दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। बहस पर मनन् किया।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, वादी अनुतोष के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद थेबडी के खसरा संख्या 451/207 में से नजरी नक्शा एवं प्रदर्श–1 (अनुसूची "अ") में प्रदर्शित मार्क ए0बी0सी0 रास्ता घोषित किया जाता है तथा खसरा संख्या 216 में से रास्ता खसरा संख्या 211 का हटाया जाता है। नजरी नक्शा प्रदर्श–1 निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादयि खसरा संख्या 216 व 211 में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करें। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **15.01.2019** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **91/2015** दायर दिनाँक **19.06.2015**

वादी	बनाम्	प्रतिवादीगण
1. रतनकंवर उर्फ हवाकंवर पत्नी शंकरसिंह जाति राजपूत निवासी थेबडी तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।		1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, नागौर 2. तहसीलदार, डीडवाना 3. नायब तहसीलदार छोटी खाटू

दावा बाबत्
दुरूस्त करने नक्शा, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक **15.01.2019**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री रघुवीरसिंह, वकील, वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद थेबडी के खसरा संख्या 451/207 में से नजरी नक्शा एवं प्रदर्श–1 (अनुसूची "अ") में प्रदर्शित मार्क ए0बी0सी0 रास्ता घोषित किया जाता है तथा खसरा संख्या 216 में से रास्ता खसरा संख्या 211 का हटाया जाता है। नजरी नक्शा प्रदर्श–1 निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादयि खसरा संख्या 216 व 211 में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करें। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....... ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **15.01.2019** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः—91—2015 / रीडर / 2019 / 98 दिनाँक 28/1/19

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
दुरूस्त करने नक्शा, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 88, 188, R.T.Act.

वादी	बनाम्	प्रतिवादीगण
1. रतनकंवर उर्फ हवाकंवर पत्नी शंकरसिंह जाति राजपूत निवासी थेबडी तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।		1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, नागौर 2. तहसीलदार, डीडवाना नायब तहसीलदार छोटी खाटू

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner